भारत सरकार

ग्रामीण विकास मंत्रालय

ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3962

(25 मार्च, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए)

पीएमजीएसवाई के अंतर्गत सड़कों का समय पर निर्माण पूरा करना

3962. श्री दामोदर अग्रवाल:

श्रीमती महिमा कुमारी मेवाड़:

डॉ. के. सुधाकर:

श्रीमती रूपकुमारी चौधरी:

श्री अरुण गोविल:

श्री चिन्तामणि महाराज:

श्री जसवंतसिंह सुमनभाई भाभोर:

श्री लुम्बाराम चौधरी:

श्री दुलू महतो:

डॉ. मन्ना लाल रावत:

श्री प्रवीण पटेल:

श्री नव चरण माझी:

श्री गजेन्द्र सिंह पटेल:

श्री धर्मबीर सिंह:

श्री आलोक शर्मा:

डॉ. राजेश मिश्रा:

श्री भोजराज नाग:

श्री जनार्दन मिश्रा:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के अंतर्गत निधियों के प्रभावी उपयोग तथा परियोजनाओं को समय पर पूरा करने को सुनिश्चित करने के लिए मौजूदा तंत्रों का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त योजना के अन्तर्गत राज्यों द्वारा पांच वर्षीय रखरखाव अनुबंध का पालन राज्यवार सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं;

(ग) ग्रामीण सड़क निर्माण में नई और हरित प्रौद्योगिकियों को अपनाने के लिए राज्यों को दिए गए प्रोत्साहनों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या उक्त पहल पूर्व में निर्मित सड़कों पर भी लागू होगी;

(ङ) उक्त योजना के अंतर्गत वर्ष 2014 से अब तक उत्तर प्रदेश के फूलपुर, राजस्थान के उदयपुर और भीलवाड़ा, मध्य प्रदेश, झारखंड, हरियाणा के भिवानी और महेंद्रगढ़ तथा कर्नाटक के चिक्काबल्लापुर में किलोमीटर में सड़क निर्माण का राज्यवार , जिलावार और वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार के पास भिवानी-महेंद्रगढ़ लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में ग्रामीण सड़क संपर्क बढ़ाने के लिए कोई विशेष योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) विगत पाँच वर्षों में उक्त योजना के अंतर्गत हरियाणा में कुल कितनी धनराशि आवंटित , जारी और उपयोग की गई तथा इन धनराशियों का उपयोग करके पूरी की गई सड़क परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(श्री कमलेश पासवान)

(क) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के अंतर्गत कार्यों का निष्पादन तथा उनका समय पर पूरा होना राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। पीएमजीएसवाई के अंतर्गत केंद्रीय निधियां राज्य सरकारों को स्वीकृत परियोजनाओं के लिए उनकी समामेलन क्षमता , शेष कार्य, उपलब्ध अप्रयुक्त शेष राशि तथा कार्यक्रम दिशानिर्देशों के अनुसार निर्धारित कुछ शर्तों की पूर्ति के आधार

पर जारी की जाती हैं। पीएमजीएसवाई के अंतर्गत निधियों के जारी होने की एक सतत प्रक्रिया है तथा इस योजना के अंतर्गत निधियों की अनुपलब्धता के कारण कभी भी कोई कार्य नहीं रुका है। इस योजना के अंतर्गत सड़क-वार व्यय की निगरानी कार्यक्रम एमआईएस , ऑनलाइन प्रबंधन, निगरानी तथा लेखा प्रणाली (ओएमएमएएस) के माध्यम से वास्तविक समय के आधार पर की जाती है।

इसके अलावा, योजना के तहत कार्यों की वास्तविक और वित्तीय प्रगति के लिए एक सुव्यवस्थित तंत्र है। पीएमजीएसवाई के तहत ग्रामीण सड़कों के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा क्षेत्रीय समीक्षा बैठकों (आरआरएम), निष्पादन समीक्षा समिति (पीआरसी) बैठकों और राज्यों के साथ पूर्व-अधिकार प्राप्त/अधिकार प्राप्त समिति बैठकों के माध्यम से नियमित रूप से की जाती है। जिला स्तर पर, माननीय संसद सदस्य (एलएस) की अध्यक्षता में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति (दिशा) पीएमजीएसवाई सहित भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी करती है। इसके अलावा , ग्रामीण विकास मंत्रालय के सचिव/अपर सचिव/संयुक्त सचिव द्वारा राज्यों के मुख्य सचिवों/प्रधान सचिवों के साथ विशेष समीक्षा बैठकें/मासिक समीक्षा बैठकें भी आयोजित की जाती हैं। योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए , उठाए गए अन्य उपाय निम्नानुसार हैं:

(i) पीएमजीएसवाई के परिचालन मैनुअल में संशोधन किया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि योजना के तहत स्वीकृत सभी कार्य स्वीकृति की तिथि से 72 दिनों के भीतर शुरू हो जाएं।

(i i) राज्यों से निष्पादन क्षमता और अनुबंध क्षमता बढ़ाने का अनुरोध किया गया है और इस संबंध में उनके अनुपालन की नियमित समीक्षा की जाती है।

(i i i) बोली दस्तावेज प्रावधानों को युक्तिसंगत बनाया गया है।

(i v) क्षमता निर्माण के लिए फील्ड इंजीनियरों और ठेकेदारों के साथ-साथ उनके कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

(v) मंत्रालय ने राज्यों की निष्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए कुछ राज्यों में केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (सीपीएसयू) को शामिल किया है।

(vi) मंत्रालय ने कार्यक्रम के कार्यान्वयन में ठेकेदारों को आकर्षित करने के लिए राज्यों में कई ठेकेदार आउटरीच कार्यक्रम भी आयोजित किए हैं।

(vi i) कार्यों की प्रगति की निगरानी के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जा रहा है।

(vi i i) उस क्षेत्र के राज्यों के समूह के लिए विभिन्न क्षेत्रों में नियमित अंतराल पर वास्तविक और वित्तीय मापदंडों की नियमित और संरचित समीक्षा की जाती है।

(ख) पीएमजीएसवाई सड़कों का निर्माण राज्य सरकारों द्वारा कम से कम 10 वर्षों के जीवन काल के साथ डिजाइन की जाती है। पीएमजीएसवाई दिशानिर्देशों के अनुसार , कार्यक्रम के तहत निर्मित सड़कों का रखरखाव राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है और मानक बोली दस्तावेज के अनुसार सभी सड़क कार्यों का शुरूआती पंचवर्षीय रखरखाव भी उसी ठेकेदार के साथ की जाने वाली निर्माण की संविदा में शामिल होता है। अनुबंध को पूरा करने के लिए रखरखाव निधि का बजटीय प्रावधान राज्य सरकारों द्वारा किया जाना अपेक्षित होता है और एक अलग रखरखाव खाते में राज्य ग्रामीण सड़क विकास एजेंसियों (एसआरआरडीए) के पास रखा जाता है। 5 वर्ष के निर्माण रखरखाव ठेके की समाप्ति के बाद, पीएमजीएसवाई सड़कों को समय-समय पर रखरखाव चक्र के अनुसार नवीनीकरण सहित 5 साल के रखरखाव के क्षेत्रीय रखरखाव ठेकों के तहत रखा जाना होता है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि पीएमजीएसवाई के तहत निर्मित सड़क का उसके पूरे जीवन चक्र के दौरान उचित रखरखाव किया जाए तथा राज्य इस प्रयोजन के लिए पर्याप्त रखरखाव निधि उपलब्ध कराए , पीएमजीएसवाई-।।। के तहत, प्रत्येक राज्य सरकार को कार्य स्वीकृत करने से पहले उस राज्य के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करना होता है । पीएमजीएसवाई-।V के अंतर्गत स्वीकृत किए जाने वाले कार्यों के लिए भी यह सुनिश्चित किया गया है तथा पीएमजीएसवाई-।V के कार्यक्रम दिशानिर्देशों में आवश्यक प्रावधान किए गए हैं।

(ग) और (घ) पीएमजीएसवाई के तहत निर्मित सड़कों के रखरखाव के लिए पूर्व-निर्धारित मापदंडों के अनुसार बेहतर निष्पादन करने वाले राज्यों को वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है। डीपीआर तैयार करने और राज्यों द्वारा मंजूरी के लिए प्रस्ताव देने के चरण में नई और हरित प्रौद्योगिकियों के उपयोग को प्रोत्साहित किया जाता है। इस तरह की लागतों को नियमित पीएमजीएसवाई कार्यक्रम निधि के माध्यम से पूरा किया जाता है।

राज्यों को नई सामग्री/अपशिष्ट सामग्री/स्थानीय रूप से उपलब्ध सामग्री का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। राज्यों को 2013 से सलाह दी गई थी कि वे वार्षिक प्रस्तावों का कम से कम 15% किसी भी नई तकनीक/सामग्री का उपयोग करके प्रस्तावित करें। इस पहल ने अपशिष्ट प्लास्टिक, कोल्ड मिक्स तकनीक, सेल-फील्ड कंक्रीट, सीमेंट और चूने का उपयोग करके स्थिरीकरण, नैनो तकनीक और फुल डेप्थ रिक्लेमेशन (एफडीआर) सहित 40 से अधिक तकनीकों को पेश करने में मदद की है। इसके अलावा , नई प्रौद्योगिकी पहल, 2022 पर विज़न दस्तावेज़ मई 2022 में लॉन्च किया गया है , जो पीएमजीएसवाई सड़कों के निर्माण में नई तकनीकों/सामग्री के उपयोग को बढ़ाने का सुझाव देता है। वर्ष 2000 में पीएमजीएसवाई की शुरुआत से लेकर अब तक, 17,634 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण नई और हरित तकनीकों के उपयोग से किया जा चुका है।

(ङ) उक्त योजना के तहत वर्ष 2014 से उत्तर प्रदेश के फूलपुर , राजस्थान के उदयपुर और भीलवाड़ा, मध्य प्रदेश , झारखंड, हरियाणा के भिवानी और महेंद्रगढ़ तथा कर्नाटक के चिक्काबल्लापुर में किलोमीटर में सड़क निर्माण का राज्यवार , जिलावार और वर्षवार ब्यौरा **https://omms.nic.in>Progress Monitoring>Monthly Progress Report >Financial Year-wise achievement** पर देखा जा सकता है।

(च) हाल ही में 11 सितंबर 2024 को पीएमजीएसवाई-IV नाम से एक नया घटक शुरु किया गया है, जिसका उद्देश्य 2011 की जनगणना के अनुसार मैदानी क्षेत्रों में 500 से अधिक आबादी और पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों , विशेष श्रेणी क्षेत्रों (आदिवासी अनुसूची- V, आकांक्षी जिले/ब्लॉक , रेगिस्तानी क्षेत्र) में 250 से अधिक आबादी और वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) प्रभावित जिलों में 100 से अधिक आबादी वाली असंबद्ध बसावटों को बारहमासी सड़क संपर्कता प्रदान करना है। यह योजना 2024-25 से 2028-29 तक 70,125 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ लागू की जाएगी , जिसका लक्ष्य 25,000 संपर्क रहित बसावटों को संपर्कता प्रदान करना है। केन्द्र सरकार इस योजना के अंतर्गत प्रस्ताव प्रस्तुत करने में सुविधा प्रदान करने के लिए राज्यों के साथ पूर्ण समन्वय में काम कर रही है।

हरियाणा राज्य को पीएमजीएसवाई-I, II और III के अंतर्गत बनायी जाने वाली सड़कों और पुलों के कुल निर्धारित लक्ष्य की सम्पूर्ण स्वीकृति दी जा चुकी है । मंत्रालय पीएमजीएसवाई के तहत स्वीकृत कार्यों का संसदीय निर्वाचन क्षेत्र-वार डेटा नहीं रखता है। हालाँकि , भिवानी और महेंद्रगढ़ जिलों में पीएमजीएसवाई के तहत स्वीकृत कार्यों और प्रगति का विवरण **https://omms.nic.in>Progress Monitoring>District Brief** पर देखा जा सकता है। पीएमजीएसवाई-IV हरियाणा के भिवानी-महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र सहित सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में ग्रामीण सड़क संपर्कता के दायरे को और बढ़ाएगा।

(छ) पिछले 5 वर्षों के दौरान , मंत्रालय द्वारा हरियाणा राज्य को कार्यक्रम निधि के अंतर्गत 611.19 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। उक्त अवधि के दौरान राज्य ने 1074.97 करोड़ रुपये का व्यय किया है, जिसमें राज्य अंश भी शामिल है। इसके अलावा , राज्य ने उक्त अवधि के दौरान 2,459.73 किलोमीटर की 256 सड़क कार्यों का निर्माण किया है।

****